



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: 71-विनियम/काविनी-29/पाकालि/15-29विनियम/15 दिनांक: 06 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 08.09.2015 को सम्पन्न 118वीं बैठक में मद संख्या-118(27)/2015 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में कारपोरेशन के समूह "ग" के अधोलिखित पदों पर विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा प्रणाली से "साक्षात्कार" के प्राविधान को, एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है :-

- | | |
|--------------------------------------|---|
| (1) कार्यालय सहायक-श्रेणी-III | - मुख्य अभियन्ता एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय संवर्ग |
| (2) आशुलिपिक-श्रेणी-III | - -तदैव- |
| (3) कार्यालय सहायक-श्रेणी-III (लेखा) | - लेखा संवर्ग |
| (4) सहायक लेखाकार | - -तदैव- |
| (5) मानचित्रक (Draftsman) | - कला संवर्ग |
| (6) सहायक स्टोर कीपर | - परिचालकीय संवर्ग |
| (7) टी0जी0-II | - -तदैव- |
2. संगत संवर्गों की सेवा विनियमावलियाँ उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 71-(1) विनियम/काविनी-29/पाकालि/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
7. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, बी-17 जे0 रोड, महानगर, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (औ0सं0)/लेखा प्रशासन, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्र सं0-1007/पाकालि/बैठक(118-27)/2015 दिनांक 29.09.2015 के सन्दर्भ में।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट, WWW.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(जितेन्द्र मोहन मिश्रा)
संयुक्त सचिव (विनियम)